

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नया रायपुर
ःः अधिसूचनाःः

रायपुर, दिनांक 16/05/2013

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011:ः छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक -06 के नीचे निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है, अर्थात् -

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
7	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण -पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर
9	तहसील कार्यालय	निवास प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
10	तहसील कार्यालय	आय प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागी य अधिकारी राजस्व	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग